

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

दावा स० 107/11

1- शान्तिस्वरूप |
2- तेजसिंह | पिसरान सुम्मेरा जाति जाटव निवासी बौकोली तहसील रूपवास जिला
3- नवलसिंह | भरतपुर वादीगण

बनाम

1- किशनसिंह |
2- नरेश | पिसरान नारायण जाति जाटव निवासी बौकोली
3- विरमादेवी पुत्री नारायण
4- भगवानसिंह |
5- चन्द्रभानसिंह मृतक
5/1- मोहनदेई वेवा चन्द्रभान
5/2- किरन |
5/3- कैशो |
5/4- शिमला | पुत्रीयान चन्द्रभान
5/5- कुन्ती |
6- बच्चू पुत्र किशाना जाति जाटव निवासी बौकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर
7- कमला पत्नि लक्ष्मन जाति बाबरिया निवासी बौकोली तहसील रूपवास
असल प्रतिवादीगण
8- प्रबन्धक पीएनबी रूपवास
9- तहसीलदार सहाब रूपवास


फौरमल प्रतिवादीगण

पीठासीन अधिकारी :- श्री पी०आर०मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

निर्णय

दिनांक 18/5/18

सक्षेपतः दावे के तथ्य निम्न प्रकार है। वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 53 आरटीए के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी ख एसरा न. 558/8-11 बीघा बाके ग्राम बौकोली तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त


उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी विवादित आराजी का मौके पर पक्षकारो का विभाजन नहीं हुआ हैं तथा सभी काश्तकार सामिल काश्त कर रहे हैं । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22-2-2018 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये । जिसमें तहसीलदार रूपवास को कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया ।

पत्रावली आज राजस्व अभियान 2018 कोर्ट कैम्प औडेलगददी में प्रस्तुत हुई । तहसीलदार रूपवास द्वारा कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो सामिल पत्रावली है। निम्न प्रकार हैं ।

कुरा न01- कमला पत्नि लक्षमन कौम बाबरिया साकिनदेह बौकोली खसरा न0 1064/558 रकवा 1-09 बीघा

कुरा न02- नरेश पुत्र नारायणसिंह ,धनेश पुत्र किशनसिंह , किशनदेई पुत्री नारायण जाति जाटव सा.देह खातेदार आराजी खसरा न0 1065/558 रकवा 1-09 बीघा

कुरा न3- शान्तीस्वरूप , तेजसिंह नवलसिंह पिसरान सुम्मेरा कौम जाटव सा.रदेहखातेदार खसरा न0 1066/558 रकवा 1-08 बीघा

कुरा न04- भगवानसिंह , बच्चूसिंह किशना,भूलदेई, भगवानदेई पुत्रीयान कियाना रामपपती पत्नि किश लवकुश पुत्र चन्द्रभानल किरन ,कैशो शिमला कुन्ती पुत्रीयान किशना वहिस्सा 1/6 जाटव साकिन देह खातेदार खसरा न0 /1067/558/4-05 बीघा

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, कुरेजात रिपोर्ट पर मनन किया । कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है । कुरेजात रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा पर्चा डिक्री कायम हो ।

निर्णय कोर्ट कैम्प औडेलगददी में सुनाया गया ।

HP 28/5/18
उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (सरतपुर)